12/3/16 पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम मसूदा पटवार क्षैत्र मसूदा तहसील मसूदा के आराजी खसरा नम्बर 1286/७४, 1289/1), 1290/९1)3, 1291/९/3.90, 1292/2112.90, 1295/311).90, 1296/11)3.90, 1297/9), 1298/11)2, 1299/91), 1300/६)2.90, 1301/४)2.90 किता 12 कुल रकबा 23)9 बिघा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम मसूदा पटवार क्षैत्र मसूदा तहसील मसूदा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1286/७४, 1289/1), 1290/९1)3, 1291/९/3.90, 1292/2112.90, 1295/3112.90, 1296/11)3.90, 1297/9), 1298/11)2, 1299/91), 1300/६)2.90, 1301/४)2.90 किता 12 कुल रकबा 23)9 बिघा भूमि के पड़ौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से नियमानुसार 500/ रूपये पत्थर गढी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार मसूदा को दो प्रतियों मे रूक्का जारी करें। पत्रावली शुमार कैमत होकर दाखिल दफ्तर होवे। आदेश आज दिनांक 12/3/16 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट कार्यालय हाजा पर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested